संख्याः1/2026आई/1210299/पैंतीस-2-2026

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः20 जनवरी,2026**

विषयः- अर्थ एवं संख्याधिकारी पद के चयन हेतु उ0 प्र0 सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग-4 के प्रस्तर 11 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं के समकक्ष अर्हता का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली, 2012 के भाग-4 के प्रस्तर11 में अर्थ एवं संख्याधिकारी पद के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं निर्धारित की गयी हैं:-

"(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में सांख्यिकी में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(2) देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान।"

2- उक्त के क्रम में कार्मिक अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश सं0-02/2024/1733973/47-का-2-2024 दिनांक 24 जून, 2024 द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी/सहायक शोध अधिकारी (सांख्यिकी) पद हेतु निर्धारित समकक्ष अर्हता के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित अर्हताओं को 55% अंको के साथ उ0 प्र0 सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली में अर्थ एवं संख्याधिकारी के पद की शैक्षिक अर्हता गणित या गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी के समकक्ष निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम सं0	पाठ्यक्रम
1	MBA,
2	MBA (dual specialization in Production & Finance management)
3	MBA Finance and Accounting,

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4	MBA Financial Management,
5	MBA (Financed Control)
6	MBA (HR)
7	Master of Management Sciences
8	Master of Total Quality Management,
9	Master of Business Economics,
10	Master of Financial Management,
11	Master of Science and technology in Mathematics,
12	Master of Business Economics (MBE),
13	MFC (Master of Finance Control)
14	M.Com,
15	M. Com. (Applied Business Economics),
16	M. Com. (Business Management),
17	M. Com. Applied Economics,
18	M. Com. (Accountancy and Business Statistics),
19	M. SC. Applied Mathematics,
20	M.SC. Industrial Mathematics and Informatics,
21	M. SC. (Tech)(Industrial) (Mathematics with Computer Application),
22	M. SC. Mathematics and Computer Education,
23	M.Sc. Mathematics with Computer Science,
24	M.SC. Mathematics and Computing,
25	M.SC. Mathematics and scientific computing,
26	M.SC. Mathematics and Statistics,
27	M.SC. Math and Statistics,
28	M.SC. (Mathematical Science Statistics),
29	M.SC. Math
30	M.SC. Industrial Mathematics and Informatics,
31	M.SC. Agricultural Statistic,
32	M.SC. Statistics and Computing Application,
33	M. SC. Statistics with computer Programming
34	M.SC. Bio Statistics,
35	M.SC. Operational Research,
36	M.SC. Applied Statistics and Information,
37	M. SC. (Statistics),
38	M. SC. Applied Statics,
39	M.SC. Health Statistics,
40	Integrated M.SC. Statistics
41	P.G. (Mathematical Statistics)
42	M.A. Economies and Rural Development,
43	M.A. (regional and applied economics)
44	M.A. Entire Economics,
45	M.A. Math,

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

46	M.A. Applied Economics,
47	M.A. Economics,
48	M.A. (Statistics)
49	M.A. (Bio-Statistics)
50	M.Tech. Mathematicians and Computing,
51	M.SC Mathematics and Computer Applications (Mathematics with Computer Application)

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्याधिकारी पद के चयन हेतु शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले पदों एवं ऐसे पदों पर लागू होगा, जिन पदों पर विज्ञापन हो चुका है किन्तु आवेदन करने की तिथि शेष है, किन्तु यह उन पदों पर लागू नहीं होगा, जिन पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है या जिन पदों पर विज्ञापन के पश्चात् आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है।

भवदीय,
आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्याः1/2026आई/1210299/पैंतीस-2-2026,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमित सिंह बंसल
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।